<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/10885/2001/बॉरा</u>

1.श्री रतन लाल पुत्र श्री रामचन्द्र मीणा
2. श्री चतरभुज पुत्र श्री रघुनाथ मीणा
निवासीगण बालुन्दा तहसील मांगरोल जिला बॉरा

–अपीलार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. श्री हीरा लाल पुत्र श्री रोडू मीणा निवासी बालुन्दा तहसील मांगरोल जिला बॉरा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बॉरा

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रमिल कुमार माथुर सदस्य
श्री हरिशंकर भारद्वाज सदस्य

<u>उपस्थित–</u>

1. श्री जगदम्बा प्रसाद अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री खडग सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थीगण
3. श्री अभिषेक कौशिक उप राजकीय अभिभाषक

<u>निर्णय</u>

दिनांक :- 22.3.13

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 4-4-2001 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 हीरा लाल ने विभाजन का एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुरावदिया

22.3.13

आराजी खसरा नम्बर 32,33 व 43 रकबा 3.65 हेक्टर मृतक रोडू पिता हीरा लाल व अपीलार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी की है। जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। सहखातेदारी की आराजी होने के कारण लगान आदि अदा करने में विवाद होता है। इसलिये विवादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जावे।

3. अपीलार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त आराजी पर अपीलार्थी संख्या 1 व2 का तन्हा कब्जा है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 का उक्त आराजी में कोई हित निहित नहीं है। मृतक रोडू, रघुनाथ तथा रतन लाल के पिता रामचन्द्र का ग्राम बालून्दा की आराजी रकबा 213 बीघा में 1/4 हिस्सा था, उक्त आराजी में से 53 बीघा रकबा नहर में चला गया तथा शेष 160 बीघा आराजी में से 40 बीघा आराजी रामचन्द्र के हिस्से में आती थी। ग्राम गुरावदिया की आराजी 25 बीघा 7 विस्वा में से कुछ आराजी नहर में चले जाने के बाद 22 बीघा 14 विस्वा आराजी शेष बची। ग्राम बालुन्दा की आराजी व ग्राम गुरावदिया की आराजी के बाबत मृतक रामचन्द्र के सहखातेदार तथा रामचन्द के पुत्र मृतक रोडू, मृतक रघुनाथ व रतन लाल के मध्य रामचन्द के जीवन काल में पारिवारिक समझौता सन 1971 में सम्पन्न हो गया था। उक्त पारिवारिक समझौते के अनुसार मृतक रोडू को बालून्दा की आराजी में से 14 बीघा 5 विस्वा आराजी प्राप्त हुई थी। मृतक रघुनाथ को 4 बीघा 14 विस्वा तथा रतन लाल को 4 बीघा 18 विस्वा आराजी प्राप्त हुई थी तथा पारिवारिक समझौते में यह तय हुआ था कि मृतक रोडू को ग्राम गुरावदिया की आराजी में कोई हक प्राप्त नहीं होगा तथा गुरावदिया की आराजी मृतक रघुनाथ की

22.3.13

एकमात्र खातेदारी में रहेगी। इसलिये काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर अपीलार्थी संख्या 1 व 2 को विवादित आराजी का खातेदार घोषित करने तथा अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य विभाजन करने का अनुरोध किया।

4. विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री के द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को स्वीकार करते हुये विवादित आराजी का अपीलार्थीगण को खातेदार घोषित कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 हीरा लाल ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 4-4-2001 के द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-12-2000 को निरस्त कर दिया और विवादग्रस्त आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 1, अपीलार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया। तदनुसार बटवारे की प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादी हीरा लाल पुत्र रोडू ने स्वयं अपने सशपथ बयान दिनांक 4-1-97 में जिरह में यह स्वीकार किया है कि सन 1971 में ग्राम गुरावदिया की भूमि पर अपीलार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा इस बात की पुष्टि सुख बाई जो पक्षकारान की बहिन है तथा जिसके समक्ष सन 1971 में बटवारे हुये हैं, ने अपने बयान में कथन किया है कि ग्राम गुरावदिया की भूमि

22.3.13

रघुनाथ, रतन लाल मे पास रहेगी तथा ग्राम बालुन्दा में रोडू को 15 बीघा भूमि पूर्ण रूप से दी है तथा साढे चार, साढे चार बीघा भूमि रतन लाल व रघुनाथ को दी है। इस प्रकार रोडू, रतन लाल, रघुनाथ को समान समान रूप से 15-15 बीघा भूमि दे दी है परन्तु इसका अमल दरामद रेकार्ड में नहीं होने से हीरा लाल पुत्र रोडू के मन में बदनियती आ गई है जिसका वह गलत रूप से फायदा लेना चाहते हैं। जबकि इसका उसको कोई अधिकार नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को समझे बिना और बयानों को नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि बटवारा मौखिक भी हो सकता है और ऐसा ही प्रावधान राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 53(2) में दे रखा है तथा विभाजन व्यवस्था के आधार पर भी किया जा सकता है जैसा कि इस प्रकरण में किया गया है। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1978 पेज 219 एवं ए आई आर 1968 एस सी पेज 807 की नजीरें पेश की।

8. उनका यह भी कथन है कि सहखातेदारों की समस्त भूमि का बटवारा कराने के लिये वाद प्रस्तुत नहीं किया है जबकि वाद समस्त वादग्रस्त आराजी एवं समस्त पक्षकारों का उल्लेख करते हुये किया जाना चाहिये। इस आधार पर ही अपील स्वीकार्य है।

9. अन्त में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4-4-2001 को निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-12-2000 को बहाल रखने का निवेदन किया।

22.3.13

10. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में विधि अनुसार बटवारा नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी का नाम गुरावदिया बतौर खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में वह अपने हिस्से को प्राप्त करने का हकदार है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित है।

11. उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण ने न तो ऐसे किसी राजीनामे को प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो कि प्रत्यर्थी का बालून्दा की आराजी दे देने के बाद गुरावदिया से आराजी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। न ही ऐसी कोई साक्ष्य कराई है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को गुरावदिया की आराजी में 1/3-1/3 हिस्सा देने का जो निर्णय दिया है वह विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाने योग्य है। अतः खारिज की जावे।

12. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

13. विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 हीरा लाल ने विभाजन का एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुरावदिया की आराजी खसरा नम्बर 32,33 व 43 रकबा 3.65 हेक्टर मृतक रोडू पिता हीरा लाल व अपीलार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी की है। जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। सहखातेदारी की आराजी होने के कारण लगान आदि अदा करने में विवाद होता है। इसलिये विवादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जावे। अपीलार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

22-3-13

जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त आराजी पर अपीलार्थी संख्या 1 व2 का तन्हा कब्जा है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 का उक्त आराजी में कोई हित निहित नहीं है। मृतक रोडू, रघुनाथ तथा रतन लाल के पिता रामचन्द्र का ग्राम बालून्दा की आराजी रकबा 213 बीघा में 1/4 हिस्सा था, उक्त आराजी में से 53 बीघा रकबा नहर में चला गया तथा शेष 160 बीघा आराजी में से 40 बीघा आराजी रामचन्द्र के हिस्से में आती थी। ग्राम गुरावदिया की आराजी 25 बीघा 7 विस्वा में से कुछ आराजी नहर में चले जाने के बाद 22 बीघा 14 विस्वा आराजी शेष बची। ग्राम बालुन्दा की आराजी व ग्राम गुरावदिया की आराजी के बाबत मृतक रामचन्द्र के सहखातेदार तथा रामचन्द के पुत्र मृतक रोडू, मृतक रघुनाथ व रतन लाल के मध्य रामचन्द के जीवन काल में पारिवारिक समझौता सन 1971 में सम्पन्न हो गया था। उक्त पारिवारिक समझौते के अनुसार मृतक रोडू को बालून्दा की आराजी में से 14 बीघा 5 विस्वा आराजी प्राप्त हुई थी। मृतक रघुनाथ को 4 बीघा 14 विस्वा तथा रतन लाल को 4 बीघा 18 विस्वा आराजी प्राप्त हुई थी तथा पारिवारिक समझौते में यह तय हुआ था कि मृतक रोडू को ग्राम गुरावदिया की आराजी में कोई हक प्राप्त नहीं होगा तथा गुरावदिया की आराजी मृतक रघुनाथ की एकमात्र खातेदारी में रहेगी। इसलिये काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर अपीलार्थी संख्या 1 व 2 को विवादित आराजी का खातेदार घोषित करने तथा अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य विभाजन करने का अनुरोघ किया। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री के द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को स्वीकार करते हुये विवादित

आराजी का अपीलार्थीगण को खातेदार घोषित कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 हीरा लाल ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 4-4-2001 के द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-12-2000 को निरस्त कर दिया।

14. इस प्रकरण में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या पक्षकारों के मध्य पूर्व में विधिसम्मत बटवारा हुआ है? इस परिप्रेक्ष्य में हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तो हम पाते हैं कि जमाबन्दी प्रदर्श-7 के अनुसार ग्राम बालून्दा की आराजी रकबा 213 बीघा मृतक रामचन्द्र की 1/4 हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज थी। उक्त आराजी में से कुछ आराजी नहर में जाने के बाद जमाबन्दी प्रदर्श ए-4 से 160 बीघा भूमि सहखातेदारी की होना प्रमाणित होता है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का मुख्य रूप से कथन यह रहा है कि सन 1971 के बटवारे के अनुसार ग्राम गुरावदिया व ग्राम बालुन्दा की आराजी का बटवारा हो चुका था और पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ था। लेकिन इस विधिक स्थिति एवं हस्तगत प्रकरण पर उक्त तथ्य के पारिणामिक प्रभाव पर कोई विवेचन विचारण न्यायालय ने नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के द्वारा कथित राजीनामे को आधार बनाकर जो वादी का वाद खारिज किया है एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार किया है वह विधिसम्मत नही है। अतः इनका समर्थन नहीं किया जा सकता। यहॉ यह भी विचारणीय है कि यद्यपि वादी यह मानता है कि ग्राम बालून्दा एवं गुरावदिया की दोनों आराजी पैतृक एवं शामलाती है जो

22.3.13

वादी एवं प्रतिवादीगण को रामचन्द्र के वारिस होने के नाते उन्हें मिला है किन्तु वादी ने सहखातेदारी की समस्त वादग्रस्त आराजी का उल्लेख करने के स्थान पर ग्राम गुरावदिया की आराजी का ही विभाजन चाहा है जबकि सहखातेदारों की आराजी का विभाजन पूरी आराजी के लिये किया जाना चाहिये। इस विधिक स्थिति पर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने दृष्टिपात नहीं किया है एवं विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने इस तथ्य पर गौर नहीं करके ग्राम गुरावदिया की आराजी के ही 1/3-1/3 हिस्से बनाकर डिक्री पारित करने के आदेश दिये हैं। इस कारण विद्वान राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय भी निरस्तनीय है।

15. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय अपास्त किये जाते हैं। अपील अंशतः स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण सहायक कलेक्टर जायल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त प्रेक्षणों की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के बाद पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.3.13

(हरिशंकर भारद्वाज)
सदस्य

22-3-13

(प्रमिल कुमार माथुर)
सदस्य